प्रभात खबर

पटना, बुधवार
22.01.2020 | 03

रेरा की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

बिल्डर व कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैक लिस्टेड, प्रोजेक्ट रुके

पटना. रियल एटेट रेगुलेशन एथोरिटी (रेरा) ने पहली बार बड़ी कार्रवाई करने हुए किसी बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर तत्काल प्रभाव से उसके सारे प्रोजेक्टों पर रोक लगा दी गयी है. अब यह बिल्डर राज्य में कोई भी निर्माण का कार्य नहीं कर सकता है. रेरा ने यह कार्रवाई फुलवारीशरीफ के करोड़ीचक में बन रहे उत्कर्ष इंफ्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के केदार पैलेस मामले में अनियमितता बरतने को लेकर की है. कंस्ट्रक्शन कंपनी और उनके तीन निदेशकों पर पैसा लेने के बावजूद तीन वर्षों के आवंटियों को फ्लैट नहीं देने, निर्माण को फाइल टच नहीं देने और लिफ्ट व सीढ़ी का निर्माण नहीं करने को लेकर कार्रवाई की है.

पैसा लेकर नहीं दे रहा था फ्लैट : कंस्ट्रक्शन कंपनी को बीते दो-तीन वर्षों में कुल सात आवंटियों ने रेरा में केस किया था. आवंटियों का आरोप था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक अर्पन कुमार, निर्मल कुमार, नवीन कुमार सहित अन्य की ओर से पैसा देने के बावजूद फ्लैट को हैंडओवर नहीं किया जा रहा है. इस पर रेरा की ओर से वर्ष 2018 से लेकर 28 अगस्त तक 2019 तक कुल 12 बार सुनवाई की गयी. इसके बाद सोमवार को फाइनल

- लोगों को 30 दिनों के भीतर पैसा लौटाने का निर्देश

आदेश पारित करते हुए आदेश दिया गया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए 30 दिनों के भीतर रेरा में निबंधन कराया जाये. रेरा की ओर से निर्माण कंपनी के सभी बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया.

मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना पर मुआवजा भी : रेरा ने अपने आदेश में कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड, बैंक खात फ्रीज करने से लेकर कई अन्य आदेश देने के बाद यह भी कहा है कि अगर आवंटी बिल्डर पर तीन वर्षों के बीच मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को लेकर भी केस करते है तो उस पर भी सुनवाई होगी. रेरा कार्रवाई करते हुए आवंटियों के पक्ष की सुनवाई कर निर्देश देगा. इसके अलावा सभी आवंटियों को 7 फीसदी ब्याज के साथ राशि लौटाने का निर्देश दिया गया है. रेरा की ओर से ऐसा पहला आदेश है.